"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2012—पौष 3, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/26/2012/वाक/पांच (60).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक ए-3-28/2000/विक/पांच (33) दिनांक 13-04-2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

(1) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(क) अनुक्रमांक 3 के सामने कॉलम (2) में शब्द "प्रवर्ग (सोलह) में विनिर्दिष्ट" के पश्चात् शब्द "और प्रवर्ग (छ:) में विनिर्दिष्ट हूप्स तथा स्ट्रीप्स" अंत:स्थापित किया जाय.

(ख) अनुक्रमांक 3 के सामने कॉलम (4) में शब्द "प्रवर्ग (तेरह) में विनिर्दिष्ट" के पश्चात् शब्द "और प्रवर्ग (ग्यारह) के अंतर्गत आने वाली स्टील ट्यूब" अंत:स्थापित किया जाय.

(2) उक्त अधिसूचना के घोषणा में :—

(क) पैरा 1 में वर्णित शब्द "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005" प्रतिस्थापित किया जाय.

(ख) पैरा 2 के वर्तमान उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाय :—

"(1) क्रय किया गया माल, रि-रोलिंग मिल/स्टील ट्यूब इंडस्ट्रीज द्वारा कच्चे माल के रूप में, इस अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लेखित, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 खंड (चार) के अंतर्गत आने वाली वस्तु .... (वस्तु का विवरण) के निर्माण में उपयोग के लिये है."

(3) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ-10/26/2012/वाक/पांच (60).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/26/2012/वाक/पांच (60), दिनांक 20-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 20th December 2012

NOTIFICATION

No. F-10/26/2012/CT/V (60).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in Notification No. A-3-28/2000/ST/V (33) dated 13-04-2000 :—

AMENDMENT

(1) In schedule to the said notification :—

(a) In column (2) against S. No. 3 after the word "category (xvi)" the words "and oops and strip specified in category (vi)" shall be inserted.

(b) In column (4) against S. No. 3 after the word "falling a category (xiii)" the words "and steel tube falling in category (xi)" shall be inserted.

(2) In declaration of the said notification :—

(a) In para 1, for the words "Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994" the words "Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005" shall be substituted.

(b) For the existing sub-para (i) of para 2, the following sub-para shall be substituted :—

"(i) The goods being purchased are for use by me in my steel re-rolling mill/steel tube industry as raw material in the manufacture of .... (description of goods) as specified in column (4) of schedule of this notification belonging to categories falling in clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956."

3. This notification shall come into force with effect from the date of publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.